<u>**न्यायालय सत्र न्यायाधीश, लखनऊ।**</u>

सत्र परीक्षण संख्या-805/2013

राज्य बनाम राजू उर्फ शमशुद्दीन व अन्य।

<u>**16.04.2025**</u>

पत्रावली प्रस्तुत।

पुकार पर अभियुक्त तौकीर उपस्थित। अभियुक्त राजू उर्फ शमशुद्दीन की हाजिरी माफी जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत। आज के लिये स्वीकृत।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा प्रार्थना पत्र बी-7 व बी-8 के निस्तारण पर बल दिया गया।

प्रार्थना पत्र बी-7 व बी-8 पर उभय़ पक्षों को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थऩा पत्र बी-7 अंतर्गत धारा-311 दं.प्र.सं. प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि मामले के विवेचक पी.डब्लू.-13 वीर सिंह की मुख्य परीक्षा से स्पष्ट है कि फर्द कागज संख्या-अ14/5 में वर्णित प्रपत्रों, जो मृतक जगदीश से सम्बन्धित थे और जिन्हें अभियुक्त राजू उर्फ शमशुद्दीन के कमरे से बरामद किया जाना अभिकथित किया गया है और जिन्हें वादिनी मुकदमा कृष्णा देवी द्वारा थाना महानगर में प्रार्थऩा पत्र देकर प्राप्त कर लिया गया है, को साबित कराये जाने हेतु पी.डब्लू.-1 श्रीमती कृष्णा देवी को पुनः तलब किये जाने का निवेदन किया गया तथा प्रार्थऩा पत्र बी-8 प्रस्तुत कर मोबाईल नम्बर 7800424394, 9554418130, 8853404031, 7376965154, 9598902900, 7398667485 व 9621358390 की प्रमाणित सीडीआर, कैफ रिपोर्ट व धारा-65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र मंगाये जाने हेतु आदेश पारित करने की याचना की गयी है।

उपरोक्त दोनों प्रार्थऩा पत्रों बी-7 व बी-8 पर अभियुक्तगण की ओर से अनापत्ति अंकित की गयी है। वर्णित परिस्थितियों में मामले के उचित न्याय-निर्णयन हेतु अभियोजन की ओऱ से प्रस्तुत प्रार्थऩा पत्र बी-7 व बी-8 स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>**आदेश**</u>

प्रार्थऩा पत्र बी-7 व बी-8 स्वीकार किये जाते हैं।

साक्षी पी.डब्लू.-1 श्रीमती कृष्णा देवी, वादिनी मुकदमा प्रार्थना पत्र बी-7 में उल्लिखित प्रपत्रों को साबित करने हेतु तलब हो तथा अभियोजन पक्ष को प्रार्थना पत्र बी-8 में वर्णित मोबाइल नम्बरों की प्रमाणित सीडीआर, कैफ रिपोर्ट व धारा-65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र मंगाये की अनुमति प्रदान की जाती है।

पत्रावली दिनांक 02.05.2025 को वास्ते अभियोजन साक्ष्य पेश हो।

सत्र न्यायाधीश,

लखनऊ।

Digitally signed by BABITA RANI
Date: 2025.04.19 12:43:25 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court